



# जनकनन्दिनी गाउँपालिका

आर्थिक ऐन, २०७७



*[Signature]*  
गा.पा. अध्यक्ष


गाउँसभाबाट स्वीकृत मिति : २०७७/०४/१६

जनक नन्दिनी गाउँपालिका  
आर्थिक ऐन, २०७७

## जनकनन्दिनी गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक

**प्रस्तावना :** जनकनन्दिनी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २८८ को उप धारा (२) बमोजिम जनकनन्दिनी गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. सम्पती कर : गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र अनुसूची (१) बमोजिम एकीकृत सम्पती कर/घरजग्गा कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
२. भूमि कर (मालपोत) : गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र अनुसूची (२) बमोजिम भूमिकर (मालपोत) लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
३. बहाल कर : गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा,छप्परा, जग्गा वा पोखरी पुरै आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा अनुसूची (३) बमोजिम बहाल कर लगाइने र असुल गरिनेछ ।
४. व्यावसाय कर : गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र व्यापार व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा अनुसूची (४) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
५. जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, जडिबुटी, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता वस्तुको व्यवसायीक कारोवार गरेवापत अनुसूचि (५) बमोजिमको कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
६. सवारी साधन कर : गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूची (६) बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानून स्वीकृति भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिमको हुनेछ ।
७. विज्ञापन कर : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूचि (७) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानून स्वीकृति भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिमको हुनेछ ।
८. मनोरञ्जन कर : गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र हुने मनोरञ्जन व्यवसाय, सेवामा अनुसूची (८) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिने छ । तर, प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।
९. बहाल विरौटी शुल्क : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आफुने निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनुसूचि (९) मा उल्लेख भए अनुसार हाट बजार वा पसलमा सोही अनुसूचिमा भएको व्यवस्था अनुसार बहाल विरौटी शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
१०. पार्किङ शुल्क : गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत अनुसूची (१०) बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
११. सेवा शुल्क, दस्तुर : गाउँपालिकाले निर्माण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूची (११) मा उल्लेखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
१२. पर्यटन शुल्क : गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरुबाट अनुसूचि (१२) मा उल्लेखित दरमा पर्यटन शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।
१३. कर छुट : यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिइने छैन ।

  
गा.पा. अध्यक्ष

१४. कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि : यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि गाउँपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ ।

### अनुसूचि १

(दफा (१) सँग सम्बन्धित)

#### एकीकृत सम्पति कर

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५५ को प्रावधान बमोजिम एकीकृत सम्पति कर लागू गर्न कार्यालयबाट आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।

#### घर जग्गा कर

एकीकृत सम्पति कर लागू नभएसम्म गाउँकार्यपालिकाबाट निर्धारण भए बमोजिम घर जग्गा कर लागू हुनेछ ।

### अनुसूचि २

(दफा (२) सँग सम्बन्धित)

| जग्गाको किसिम | प्रति कठ्ठा (३३८.६० व.मि.रु) | जरिवाना            | कैफियत                    |
|---------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| अब्वल         | ५                            | वार्षिक १० प्रतिशत | विगत वर्षको हकमा          |
| दोयम          | ४                            |                    | विगत नै दररेटको           |
| सिम           | २                            |                    | आधारमा प्रति वर्ष १०      |
| चहार          | २                            |                    | प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ । |

### अनुसूचि ३

(दफा (३) सँग सम्बन्धित)

#### (क) बहाल करको दर

१. जनकनन्दिनी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, फसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, सेड, जग्गा, पोखरी वा अन्य सम्पति पुरै वा आंशिक तवरले बहाल दिएकोमा बहाल अंशको १० प्रतिशत ।


२. संगठित संघसंस्था, कम्पनी, कार्यालय वा यस्तै प्रकृतिका अन्य तिकायले बहाल लिए वापत बहाल रकम भुक्तानी गर्दा स्रोतमै अग्रिम बहाल कर कट्टी गरी गाउँपालिकामा दाखिला गर्नुपर्नेछ ।

#### (ख) बहाल कर निर्धारण प्रक्रिया

१. बहालमा दिएको मितिलाई आधार मानी दैनिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक अवधिलाई आधार लिई बहाल कर बुझाउनु पर्ने छ ।


२. क्षेत्रगत आधारमा गाउँकार्यपालिकाको न्यूनतम बहाल दर तोक्न सक्नेछ ।

३. गाउँ कार्यपालिकाले निर्धारण गरेको कार्यविधि अनुसार करदाताले स्वयं घोषणा गरेको वा सम्भौता पत्रमा उल्लेख भएको आधारमा बहाल कर निर्धारण गरिनेछ ।


  
गा.पा. अध्यक्ष

**अनुसूचि ४**  
(दफा (४) सँग सम्बन्धित)  
व्यवसाय करको दर


| सि.नं. | व्यवसायको किसिम                                    | वार्षिक दर |
|--------|--|------------|
| १      | सुन, चाँदी पसल                                     | २०००१-     |
| २      | चुरोट, बिरी वा सुर्तिको थोक विक्रेता               | १०००१-     |
| ३      | मदिरा एवं कोलडिङ्क्स विक्रेता                      | २०००१-     |
| ४      | श्रीगांर पसल तथा ब्यूटी पार्लर                     | १०००१-     |
| ५      | फलफूत तरकारी स्थायी पसल                            | ५००१-      |
| ६      | जुत्ता चपल पसल                                     | १०००१-     |
| ७      | स्टेशनरी तथा पुस्तक पसल                            | १०००१-     |
| ८      | चस्मा पसल  | १०००१-     |
| ९      | टायर ट्यूव मर्मत                                   | ७००१-      |
| १०     | ब्याट्री मर्मत तथा चार्ज गर्ने                     | ७००१-      |
| ११     | पेन्टर रबर स्टाम्प                                 | ७००१-      |
| १२     | नर्सरी   | ७००१-      |
| १३     | माछा, मासु अण्डा पसल स्थायी                        | १०००१-     |
| १४     | भाडा वा ग्यास पसल                                  | १५००१-     |
| १५     | फर्निचर पसल  | १०००१-     |
| १६     | केवुल नेटवर्किङ                                    | १०००१-     |
| १७     | उद्योग तथा कम्पनीको एजेन्सी                        | २०००१-     |
| १८     | औषधी पसल   | १५००१-     |
| १९     | मल खाद बिउ विजन                                    | १५००१-     |
| २०     | जादु, सर्कस, थिएटर, संगित तथा मनोरंजन हल प्रति दिन | ३००१-      |
| २१     | वैण्डवाजा  | ७००१-      |
| २२     | टेन्ट हाउस डेकोरेशन                                | १०००१-     |
| २३     | हार्डवेयर पसल                                      | २०००१-     |
| २४     | कम्प्युटर पसल                                      | २०००१-     |
| २५     | इलेक्ट्रोनिक, इलेक्ट्रीक सामान विक्रेता            | १५००१-     |
| २६     | इलेक्ट्रोनिक, इलेक्ट्रीक मर्मत                     | ७००१-      |
| २७     | पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता                         | २०००१-     |

  
ज.प्र. अधिकारी

|    |   |        |
|----|---|--------|
| २८ | किराना पसल                                      | १०००१- |
| २९ | कपडा पसल  | १०००१- |
| ३० | रिक्सा, साईल विक्रेता                           | १०००१- |
| ३१ | रिक्सा साईकल मर्मत                              | ७००१-  |
| ३२ | हेभि इक्वीपमेन्ट बस, ट्रक, कार, ट्रयाक्टर मर्मत | २५००१- |
| ३३ | मोटरसाईकल टेम्पो आदी                            | १०००१- |
| ३४ | पम्पिड सेट, मोटर पंखा आदी                       | १०००१- |
| ३५ | आधारभुत स्तरका निजी विद्यालय                    | ७००१-  |
| ३६ | नि.मा.वि. स्तरका निजी विद्यालय                  | १०००१- |
| ३७ | मा.वि.स्तरका निजी विद्यालय                      | १५००१- |
| ३८ | उच्च मा.वि. र क्याम्पस निजी स्तरका              | २०००१- |
| ३९ | निजी/गैर सरकारी प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम      | २०००१- |
| ४० | निजी नर्सिडहोम तथा अस्पताल                      | २०००१- |
| ४१ | क्लीनीक तथा ल्याव ईत्यादी                       | १०००१- |
| ४२ | इन्जिनियरिड सेवा                                | २०००१- |
| ४३ | कानूनी सेवा                                     | २०००१- |
| ४४ | लेखापरीक्षक                                     | १५००१- |
| ४५ | अनुसन्धानकर्ता तथा परामर्शदाता                  | १५००१- |
| ४६ | कम्प्यूटर एनालिष्ट तथा प्रोग्रामर               | १५००१- |
| ४७ | विमा ऐजेन्ट                                     | १५००१- |
| ४८ | सर्भेयर   | १५००१- |
| ४९ | अनुवाद  | १५००१- |
| ५० | सामान ढुवानी कर्ता तथा कम्पनी                   | १५००१- |
| ५१ | निर्माण व्यवसाय                                 |        |
|    | " घ " श्रेणी                                    | ३५००१- |
|    | " घ " श्रेणी म्यादभिन्न नविकरण                  | १०००१- |
|    | " घ " श्रेणी म्याद नाघी नविकरण                  | २०००१- |
| ५२ | चामल तथा तेल उत्पादन गर्ने उद्योग               | २०००१- |
| ५३ | स - मिल काष्ठ उद्योग                            | ३०००१- |
| ५४ | अफसेट प्रेस                                     | १०००१- |

  
मा.पा. अख्तियार

|   |  |        |
|---|--|--------|
| ५५  | डिजिटल फोटो कलर ल्याब                              | १०००१- |
| ५६  | फोटो स्टुडियो                                      | ८००१-  |
| ५७  | कुटानी, पिसानी मिल                                 | ५००१-  |
| ५८  | ईटा उद्योग   | ५०००१- |
| ५९  | ग्रिल सटर उद्योग                                   | १५००१- |
| ६०  | हेयर कटिङ गर्ने                                    | ७००१-  |
| ६१  | पाउरोटी उद्योग                                     | १०००१- |
| ६२  | टेलरिङ सेवा  | ८००१-  |
| ६३  | मैनवत्ती उद्योग                                    | ८००१-  |
| ६४  | सावुन सर्फ उद्योग                                  | २०००१- |
| ६५  | पानी उद्योग  | १५००१- |
| ६६  | सुर्ति जन्य उद्योग                                 | २०००१- |
| ६७  | होटल   | १०००१- |
| ६८  | भेडा बाखा फर्म                                     | १०००१- |
| ६९  | गाई भैसि फर्म                                      | १०००१- |
| ७०  | संचार सेवा :-                                      |        |
|   | संचार कम्पनीको प्रति टावर                          |        |
|   | एफ.एम.रेडियो                                       | २०००१- |
|   | टेलिफोन, फ्याक्स, ईन्टरनेट कुरियर आदि              | १०००१- |
| ७१  | वित्तीय सेवा :-                                    | ८००१-  |
|   | नेपाल सरकारको स्वामित्वमा नरहेको बैंक              | ३०००१- |
|   | आर्थिक कारोबार गर्ने वित्तीय कम्पनी, मनी ट्रान्सफर | २०००१- |
|   | विदेशी मुद्रा सटही                                 | १०००१- |
| माथिको वर्गिकरणको समावेश नभएका व्यवसायको कारोबार र स्तर हेरी वार्षिक रु ५००१- देखि रु.५०००१- सम्म |  |        |



गा.पा. अध्यक्ष

## अनुसूचि ५

(दफा (५) सँग सम्बन्धित)

### जडिबुटी कबारी र जीवजन्तु करको दर

ऊन, जडिबुटी, कवाडी माला र प्रचलित कानुनले निषेध गरिएको जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिंग, प्वाँख, छाला, जस्ता वस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरे वापत निम्न बमोजिम कर लाग्नेछ :-

- क) कागजजन्य सामानका लागि प्रति किलोग्राम रु. एक
- ख) फलामजन्य सामानका लागि प्रति किलोग्राम रु. दुई
- ग) स्टीलजन्य सामानका लागि प्रति किलोग्राम रु. दुई
- घ) अन्यका हकमा प्रति किलोग्राम रु. दुई

## अनुसूचि ६

(दफा (६) सँग सम्बन्धित)

### सवारी साधन करको दर

जनकनन्दिनी गाउँपालिकाभित्र ठेगाना रहने गरी दर्ता भएका तथा जनकनन्दिनी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र चल्ने सवारी साधनमा देहाय बमोजिम वार्षिक सवारी कर लाग्ने :

- क) ईन्जिनबाट चल्ने दुई पांग्रे मोटर साईकल वा यस्तै सवारी साधन रु. १००१-
- ख) कार, जीप वा यस्तै चार पांग्रे सवारी साधनको रु. ५००१-
- ग) टेम्पु, ट्रेक्टर वा यस्तै चार पांग्रे सवारी साधनको रु. ५००१-
- घ) मिनी बस, मिनी ट्रक वा यस्तै चार पांग्रे सवारी साधनको रु. १०००१-
- ङ) ठुला बस, ट्रक वा यस्तै चार पांग्रे सवारी साधनको रु. १५००१-
- च) डोजर क्रेन वा यस्तै हेभी साधनको रु. २०००१-

तर, विधुतीय उर्जाबाट संचालन हुने र कृषि कार्यमा प्रयोग गरिने साधनको हकमा तोकिएको दर मा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ ।

## अनुसूचि ७

(दफा (७) सँग सम्बन्धित)

### विज्ञापन करको दर

| सि.नं. | विज्ञापन सामग्री  | इकाई           | अवधि    | दर रु. |
|--------|---|----------------|---------|--------|
| १      | फ्लेक्सबाट तयार गरिएको विज्ञापन प्रचार सामग्री                | प्रति वर्ग फिट | वार्षिक | ५०१-   |
| २      | हार्डिड बोर्ड वा यस्तै विज्ञापन प्रचार सामग्री                | प्रति वर्ग फिट | वार्षिक | १००१-  |
| ३      | डिजिटल बोर्ड वा यस्तै विज्ञापन प्रचार सामग्री                 | प्रति वर्ग फिट | वार्षिक | ५०१-   |
| ४      | सवारी साधनको दाँया बायाँ                                      | प्रति वर्ग फिट | वार्षिक | २०१-   |
| ५      | खेलकुद मैदान, मेला, जात्रा वा यस्तै अन्य कार्यक्रममा विज्ञापन | प्रति दिन      | दैनिक   | ५०१-   |
| ६      | अन्य  | प्रति वर्ग फिट | वार्षिक | ५०१-   |

गा.पा. अध्यक्ष

अनुसूचि ८  
(दफा (८) सँग सम्बन्धित)  
मनोरञ्जन करको दर

१. चलचित्र प्रदर्शन प्रति पर्दा वार्षिक रु. २०००१-
२. जादु, सर्कस, मेला सञ्चालन गराए वापत दैनिक रु. १००१-


अनुसूचि ९  
(दफा (९) सँग सम्बन्धित)  
बहाल बिलौरी शुल्कको दर

| सि.नं. | विवरण  | रुपैया |
|--------|--|--------|
| १      | तरकारी, फलफूल तथा अन्य सामग्री प्रति टोकरी   | १०१-   |
| २      | परेवा प्रति जोडा   | १०१-   |
| ३      | कुखुरा प्रति थान   | १०१-   |
| ४      | फुटपाथमा बसि मर्मत सम्भार गर्ने, कपाल काट्ने, सुर्ति, चक्कु, हँसीया, खुर्पि, जाँतो सिलौटा वा अन्य सामग्री बेच्ने सँग प्रति दिन | २०१-   |
| ५      | पटके चिया, नास्ता, मिठाई, अण्डा आदी बेच्ने   | २०१-   |
| ६      | जडीबुटी बेच्ने तथा खेल चटक, तमासा इत्यादी  | २०१-   |
| ७      | माछा, मासु विक्रेता  | ५०१-   |
| ८      | दाउरा वा यस्ते अन्य सामग्री प्रति भारी   | ५१-    |

कनै साधनमा ल्याएका सामग्रीलाई पनि माथि उल्लेख भए बमोजिमको इकाईमा दामासाहीले कर संकलन गरिने

पशु बजार सेवा शुल्कको दर

- (क) गाई, गोरु, राँगा, घोडा र घोडीको प्रति थान विक्रेताबाट लिने रु. १००१-
- (ख) गाई, गोरु, राँगा, घोडा र घोडीको प्रति थान क्रेताबाट लिने रु. १००१-
- (ग) खसी, बाखा, बोका, पाठा, पाठी प्रति थान विक्रेताबाट लिने रु. ५०१-
- (घ) खसी, बाखा, बोका, पाठा, पाठी प्रति थान क्रेताबाट लिने रु. ५०१-

  
जा.पा. अध्यक्ष


**अनुसूचि १०**  
(दफा (१०) सँग सम्बन्धित)  
**पार्किङ शुल्कको दर**

- (क) साईकल प्रति घण्टा रु. २१-  
(ख) टायर गाडा प्रति घण्टा रु. ७-  
(ग) दुई पांग्रे सवारीका लागि प्रति घण्टा रु. ५१-  
(घ) चार पांग्रे सवारीका लागि प्रति घण्टा रु. १०१-  
(ङ) छ वा सो भन्दा बढी पांग्रे सवारीका लागि रु. ३०१-


१. क्षेत्रगत आधारमा, सडकमा स्पष्ट रेखांकन गरी, प्रवेश र बर्हिगमन फरक फरक हुने गरी, कुनै पनि सडक कुल चौडाईको २५ को प्रतिशत भन्दा बढी भाग नओगटने गरी, सकभर आधुनिक प्रयोगमा ल्याउने गरी आफै वा निजी क्षेत्रबाट सवारी पार्किङ व्यवस्थापन गर्न सक्ने ।  
२. सवारी साधन पार्किङ गर्ने क्षेत्र र निषेध क्षेत्र गाउँ कार्यपालिकाले तोक्न सक्नेछ ।

**अनुसूचि ११**  
(दफा (११) सँग सम्बन्धित)  
**सिफारिस, मुल्याङ्कन, सेवा शुल्क दस्तुर**

| सि.नं. | विवरण                                     | दर रु. | कैफियत |
|--------|---|--------|--------|
| १      | निवेदन शुल्क                              |        |        |
|        | निवेदन दस्तुर टिकट वापत                   | १०१-   |        |
|        | न्यायिक समिति निवेदन दस्तुर               | १००१-  |        |
|        | न्यायिक समिति मेलमिलाप दस्तुर             | ५००१-  |        |
| २      | पञ्जीकरण                                  |        |        |
|        | व्यक्तिगत घटना दर्ता ३५ दिन पछि           | ५०१-   |        |
|        | व्यक्तिगत घटना प्रतिलिपी                  | १००१-  |        |
| ३      | नेपाली तथा अंग्रेजीमा गरिने सिफारिस शुल्क |        |        |
|        | अंग्रेजीमा गरिने सबै सिफारिस              | ५००१-  |        |
|        | नागरीकता सिफारिस                          | १००१-  |        |
|        | नागरिकता प्रतिलिपी सिफारिस                | १००१-  |        |
|        | मुचुल्का सहितको नागरिकता                  | २००१-  |        |
|        | अंगिकृत नागरिकता                          | १००१-  |        |
|        | नाता प्रमाणित स्वदेश प्रयोजन              | १००१-  |        |
|        | नाता प्रमाणित विदेश प्रयोजन               | ५००१-  |        |

  
जा.पा. अख्तियार


|   |   |        |  |
|---|---|--------|--|
|   | नाता कायम सिफारिस                                       | १००१-  |  |
|   | पारिवारिक विवरण सिफारिस                                 | १००१-  |  |
|   | बसोवास प्रमाणित सिफारिस                                 | १००१-  |  |
|   | नाबालक सिफारिस  | १००१-  |  |
|   | जन्म मिति प्रमाणित सिफारिस                              | १००१-  |  |
|   | वैवाहिक सम्बन्ध प्रमाणित सिफारिस                        | १००१-  |  |
|   | अविवाहित प्रमाणित सिफारिस                               | १००१-  |  |
|   | व्यक्तिगत प्रमाणित सिफारिस                              | १००१-  |  |
|   | चारीत्रिक प्रमाणित सिफारिस                              | १००१-  |  |
|   | सम्बन्ध विच्छेद प्रमाणित सिफारिस                        | २००१-  |  |
|   | खानेपानी, टेलीफोन जडान, नामसारी, ठाउँ सारी              | १००१-  |  |
|   | विद्युत मिटर जडान सिफारिस (घरायसी)                      | २००१-  |  |
|   | विद्युत मिटर जडान सिफारिस थ्रि फेज                      | ५००१-  |  |
|   | व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रतिलिपी सिफारिस                  | १००१-  |  |
|   | चौपाया निकासी दस्तुर प्रति गोटा सिफारिस                 | १०१-   |  |
|   | विभिन्न संघ, संस्था, क्लब, ईन्टिच्युट आदि दर्ता सिफारिस | १०००१  |  |
|   | संस्था नविकरण प्रति लाख                                 | -      |  |
|   | संस्था नविकरण प्रति लाख                                 | १००१-  |  |
|   | नाम थर जन्म मिति संसोधन सिफारिस                         | १००१-  |  |
|   | पेन्सन सिफारिस  | २००१-  |  |
|   | निजी बैंक स्थापना अनुमती सिफारिस                        | ५०००१  |  |
|   | नागरिकता बाहेका मुचुल्का सिफारिस                        | -      |  |
|   | नागरिकता बाहेका मुचुल्का सिफारिस                        | १००१-  |  |
|   | पटके सिफारिस  | १००१-  |  |
|   | उजुरी निवेदन दस्तुर                                     | १००१-  |  |
|   | मिलापत्र दस्तुर   | ५००१-  |  |
|   | टावर स्वीकृत सिफारिस                                    | १५००१- |  |
| ४ | घरेलु तथा साना उद्योगको सरजमिन तथा सिफारिस              |        |  |
|   | साना तथा घरेलु उद्योग सिफारिस                           | ५००१-  |  |
|   | व्यवसाय बन्द तथा नाम परिवर्तन                           | ५००१-  |  |
|   | मदिरा व्यवसाय सिफारिस (खुद्रा)                          | १०००१  |  |
|   | मदिरा व्यवसाय सिफारिस (थोक)                             | -      |  |
|   | मदिरा व्यवसाय सिफारिस (थोक)                             | २०००१  |  |

  
 मा.मा. अध्यक्ष

|   |  |       |  |
|---|--|-------|--|
|   | निर्माण व्यवसाय सिफारिस                                | १०००। |  |
| ५ | चार किल्ला प्रमाणित                                    |       |  |
|   | चार किल्ला प्रमाणित                                    | २००।- |  |
|   | पहिलो कित्ता पछि थप प्रति कित्ता                       | १००।- |  |
| ६ | ट्रेस नक्सा निर्माण तथा प्रमाणित दस्तुर                |       |  |
|   | ट्रेस नक्सा निर्माण तथा प्रमाणित प्रति कित्ता          | २००।- |  |
|   | ट्रेस नक्सा प्रमाणित प्रति कित्ता                      | १००।- |  |
| ७ | जग्गा नामसारी, किनबेच तथा मालपोत सम्बन्धी अन्य सिफारिस |       |  |
|   | राजिनामा, बकसपत्र सिफारिस                              | ५००।- |  |
|   | अंशवण्डा सिफारिस                                       | २००।- |  |
|   | नाम सच्याई सरजमिन सिफारिस                              | २००।- |  |
|   | घर बाटो सिफारिस एक कित्ता                              | १००।- |  |
|   | जग्गा धनी पूर्जा प्रतिलिपी                             | २००।- |  |
|   | जग्गा दर्ता वा नामसारी सिफारिस ५ रोपनी सम्म            | ३००।- |  |
|   | घर नक्सा नामसारी                                       | ५००।- |  |

नक्सा पास दस्तुर तथा फाराम शुल्कको दररेट

| सि.नं. | विवरण   | दररेट | कैफियत |
|--------|---|-------|--------|
| १      | RCC भुई तल्ला निर्माण गर्दा प्रति वर्ग फिट                    | १।-   |        |
|        | RCC प्रथम तल्ला निर्माण गर्दा प्रति वर्ग फिट                  | २।-   |        |
|        | RCC दोस्रो तल्ला निर्माण गर्दा प्रति वर्ग फिट                 | ३।-   |        |
|        | RCC तेस्रो तल्ला र सो भन्दा माथि निर्माण गर्दा प्रति वर्ग फिट | ४।-   |        |
| २      | कम्पाउण्डवाल प्रति रनिड फिट                                   | १।-   |        |
| ३      | घर निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र                                | ३००।- |        |
| ४      | घर नक्सा नामसारी दस्तुर                                       | ३००।- |        |
| ५      | घर नक्सा निवेदन दस्तुर  | २००।- |        |
| ६      | घर नक्साको प्रतिलिपी  | ३००।- |        |

  
 मा.पा. अध्यक्ष

## अनुसूचि १२


(दफा (१२) सँग सम्बन्धीत)

### पर्यटन शुल्क

गाउँ कार्यपालिकाबाट तोकिएको स्थानमा तोकिएको बमोजिम पर्यटन शुल्क लाग्ने छ।

निष्कर्ष तथा सुभावहरु :

- राजस्व संकलन लाई प्रभावकारी बनाउन क्लष्टर बनाई राजस्व संकलन केन्द्रको रूपमा स्थापनाको लागि जोड दिनुपर्छ।
- राजस्व संकलन प्रति जनचेतना अभिवृद्धि गर्नको लागि रेडियो, टि.भि.वा अन्य माध्यमबाट सुचना प्रवाह गर्नुपर्ने।
- राजस्व शाखालाई प्रभावकारी बनाउन राजस्व क्षेत्रसँग सम्बन्धि कर्मचारी भर्नामा जोडिदिने।
- कम्प्युटिकृत प्रणालीलाई अभै प्रभावकारी बनाउन समयानुसार परिमार्जित गर्नुको साथै नयाँ कर शिर्षकहरुलाई व्यवस्थित गर्न कम्प्युटिकृत प्रणाली अनुसार व्यवस्थित गर्नपर्ने।
- राजस्व सम्बन्धी नीति, प्रतिवेदन र विश्लेषणलाई अभै प्रभावकारी बनाउन राजस्व परामर्श समितिको नियमित बैठक बसाउनु पर्ने।
- गाउँ सभामा प्रतिवेदन पेश गर्दा कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने।
- बहालकरलाई व्यवस्थित र करको दायरामा समावेश गराउनको निमित्त उचित कदम चाल्नु पर्ने।
- दर्ता नभएका साना व्यवसायी, उद्योगीहरुलाई गाउँपालिकाको करको दायरामा समावेश गराउने प्रयास गर्नु पर्छ।
- निकासी र पैठारी जन्य बस्तुको कर संकलनमा प्रभावकारीता ल्याउन उचित अध्ययन विधि अपनाउनु पर्ने।
- ६ वटै वडामा राजस्व संकलनलाई जोड दिनुका साथै राजस्व संकलनलाई कम्प्युटिकृत गरी कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने।
- राजस्व सम्बन्धी कर्मचारीहरुलाई समय समयमा राजस्व सम्बन्धि तालिम गोष्ठी इत्यादीको व्यवस्था गर्नु पर्ने।
- उद्योग व्यवसायीहरुलाई करको दायरामा समावेश गराउनुको लागि दर्ता नविकरण सम्बन्धि अनिवार्य व्यवस्था हुनुको साथ वर्गीकृत व्यवस्था अनुसार राजस्व संकलन गर्ने।
- गाउँपालिका अन्तर्गत बजार क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्रको समयानुकुल अनुगमन गर्नको लागि विज्ञहरुको अनुगमन टोली गठन गरी राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउने साथै अन्य क्षेत्रहरुलाई पनि यस टोली मार्फत अनुगमन गरी कर र राजस्वको दायरामा समावेश गराउने।
- राजस्वका दरहरु सार्वजनिक गरी हुने खालका कार्यक्रमहरु निर्धारित गरी आयोजना गर्नुपर्ने।

  
जा.पा. अध्यक्ष